राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.17(2)चिस्वा/2/2013 दिनांक : 27.02.2013

–: आदेश :–

राजस्थान चिकित्सा सेवा नियम–1963 के संशोधित नियम 2011 के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प. क. विभाग, राजस्थान जयपुर के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा चयनित निम्नलिखित अभ्यार्थियों को चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान 15600–39100 में कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ7(2)डीओपी/ए–11/2005 दिनांक 20/01/06 के प्रावधानान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 16800/– प्रतिमाह एवं 13200/– चिकित्सा परिचर्या भत्ता **(कुल रूपए 30,000/–)** की दर पर अस्थाई रूप से, **दो वर्ष के प्रोबेशन काल जिसमें एक वर्ष की इन्टरनशिप अवधि सम्मिलित होगी,** पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान कर इनका पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर तुरन्त प्रभाव से किया जाता है:–

क्र. सं.	नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारी का नाम	महिला/ पुरूष	जन्म तिथि	श्रेणी	पदस्थापित स्थान
1.	DR. NARENDRA SINGH	MALE	24-11-1985	OBC	PHC, RAMSINGHPUR, SRIGANGANGAR
2.	DR. BANWARI LAL MAHOR	MALE	20-08-1985	SC	CHC, KHANDIP, SAWAI MADHOPUR
3.	DR. RAM KISHOR ROAT	MALE	05-10-1987	ST	PHC, ANTARI, DUNGARPUR
4.	DR. NITESH MEENA	MALE	17-10-1985	ST	CHC, MODAK, KOTA AGAINST JS SURGERY
5.	DR. VIJAY PAL VERMA	MALE	10-10-1984	SC	CHC, MEETHDI LADNUN, NAGOUR
6.	DR. HANSENDRA KUMAR ANJANA	MALE	05-09-1982	SC	CHC, BONL, KARAULI
7.	DR. KAPIL DEV MEENA	MALE	02-12-1986	ST	PHC VARADA, SIROHI

" These appointments are subject to the decisions of S.B. Civil Writ Petition Nos. 17837/2012"

परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों आदि में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृंखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।

एमबीबीएस (नॉन पीजी) चिकित्सक को नियुक्ति तिथि से कम से कम 03 वर्ष की ग्रामीण सेवा करनी अनिवार्य है।

उपरोक्त चिकित्सकों की जन्म तारीख उनके सैकण्डरी/हाई स्कूल के प्रमाण पत्रों से संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी है।

उक्त चिकित्सकों की नियुक्ति सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं सक्षम पुलिस अधिकारी द्वारा जारी चरित्र सत्यापन के अध्यधीन है।

इन्हें कार्यग्रहण करने के समय अपने सबंधित पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन प्राप्त कर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। चिकित्सक कार्यग्रहण के समय संबंधित पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन प्रस्तुत नहीं करते है तो उन्हें रूपये 10/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। तत्पश्चात् शपथ पत्र प्रस्तुत करने वाले चिकित्सक को कार्यग्रहण करने की तिथि से 07 दिवस में अपने संबंधित पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन प्राप्त कर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

<u>यदि शपथ पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् किसी चिकित्सक के विरूद्ध किसी भी प्रकार का अपराधिक रिकॉर्ड बाद में पाया जाता है तो इनके नियुक्ति आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिये जायेंगे तथा अभ्यार्थी पुनः राज्य सेवा में रखने के लिये किसी भी प्रकार का विवाद या दावा उत्पन्न करने का अधिकारी नहीं होगा।</u>

दिनांक 01/06/02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान वाले अभ्यार्थी नियुक्ति के लिये पात्र नही होंगे।

इन्हें आदेश प्रसारित होने की तिथि से **अधिकतम 15 दिवस अर्थात दिनांक 14.03.2013 तक** उनके नाम के सम्मुख जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में कार्यग्रहण करना होगा।

उक्त चिकित्सक पूर्व में तदर्थ/समेकित वेतन पर कार्यरत हैं वे अपने आप को कार्यमुक्त समझते हुए उक्त आदेशानुसार कार्यग्रहण करेंगे।

इन्हें पद ग्रहण करने के लिये किसी प्रकार का यात्रा भत्ता अनुदेय नही है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

—ह.—
(अल्पा चौधरी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1) निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2) निजी सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4) निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
5) रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6) संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन,
7) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
8) संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख है कि **<u>अभ्यार्थी से कार्यग्रहण कराने के समय संबंधित पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। चिकित्सक कार्यग्रहण के समय संबंधित पुलिस अधीक्षक से चरित्र सत्यापन प्रस्तुत नहीं करते है तो उनसे रूपये 10/— के नॉन—ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र प्राप्त करें। साथ ही संतानों के संबंध में वचन पत्र एवं यदि शादी शुदा हो तो मेरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य रूप से प्राप्त कर मूल ही अभ्यार्थी के कार्यग्रहण की सूचना भिजवाने के समय अनिवार्य रूप से साथ में भिजवावें एवं छाया प्रति आपके कार्यालय हेतु रख लें।</u>**
9) संबंधित चिकित्सक को उनके घर के पते पर **<u>रजिस्टर्ड डाक</u>** द्वारा एवं विभाग की बेवसाईट http://www.rajswasthya.nic.in के माध्यम से सूचनार्थ।
10) कम्प्यूटर सैल/आदेश पत्रावली/ निजि पत्रावली।

शासन उप सचिव